No. 14-1/08-EXN-CGCR-Part file-228-8423-25 **Most Urgent.**
Department of State Taxes & Excise,
Himachal Pradesh.

From

The Commissioner of State Taxes and Excise,
Himachal Pradesh, Shimla-09.

To

The Jt. Commissioner of State Taxes & Excise,
(Taxpayer Services & Enforcement & Allied Taxes)
South Zone, Parwanoo, Cental Zone, Una and North Zone Palampur, H.P.

Dated: Shimla-9 2024

Subject: - **Regarding Notification dated 18.03.2026.**

Sir,

Please find enclosed herewith Notifications No: EXN-A(3)/2023-L and EXN-A(3)-1/2026 dated 18-03-2026 under CGCR Act 1999 regarding rate of tax on Tobacco in all forms including Pan Masala, Pan Chatney and Preparations containing Tobacoo or Tobacco substitutes and amendment of rate of Clinker and insertion of new items i.e. Fly Ash Blocks, Fly Ash Bricks, Ceramic and Surface Tiles & All kind of PVC and Wooden paneling/Wooden flooring.

In this regard, you are directed to do the needful accordingly.

Yours Sincerely

Encls:as Above

(Ravinder Kumar) HPRS
Addl. Commissioner of State Taxes and Excise, Gr-I (GST/AT),
Himachal Pradesh.

Endst.NO: 14-1/08-EXN-CGCR-Part file-228-842634 Dated 23/03/2026 Shimla

Copy forwarded to the following:-

1. The Addl. CSTE (IT) Himachal Pradesh with request to upload the same in the official website of the Department of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh at the earliest.
2. The Addl./ Jt. CSTE South Zone Shimla/North Zone Palampur and Central Zone Mandi for information and necessary direction please.
3. The Addl./Jt. CST&E(EIU/TAU) for information and necessary action please.
4. The Addl. CST&E(D) for information and necessary action please.
5. All DCSTE (Taxpayer Services, Enforcement & Allied Taxes/Audit/Excise) in H.P. for information and necessary action please.
6. All ACSTE (TPS) in H.P. with direction to comply with the notification and necessary action please.

(Ravinder Kumar) HPRS
Addl. Commissioner of State Taxes and Excise, Gr-I (GST/AT),
Himachal Pradesh.

Scanned with OKEN Scanner

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए (3)–1/2026 तारीखः शिमला–02 18/3/ 2026.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्याक 16) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की सलंग्न अनुसूची–। (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अनुसूची मेंः–

(क) हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की उक्त अनुसूची में विद्यमान मद संख्या 19 के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन कर की दर निम्नलिखित रुप से रखी जाएगीः–

क्रम संख्या	वस्तुएं	कर की दर
19.	क्लिंकर	130.00 रूपये प्रति टन

(ख) क्रम संख्या 22 के पश्चात्, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टयां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	वस्तुएं	कर की दर
23.	फ्लाई ऐश ब्लोकस्	75.00 रूपये प्रति क्विंटल
24.	फ्लाई ऐश ब्रिकस	120.00 रूपये प्रति हजार
25.	सिरेमिक और सरफेस टाइल्स	0.75 रूपये प्रति 10 कि0ग्रा0 बक्सा
26	सभी प्रकार की पीवीसी और लकड़ी की पैनलिंग/ लकड़ी की फ्लोरिंग	0.25 रूपये प्रति वर्ग मीटर

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्टांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–ए(3)–1/2026 तारीखः शिमला–02. 18/3/ 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 07.03.2026 की मद संख्याः 42 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला–09
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0।
4. संरक्षण नस्ति।

(दलीप कुमार नेगी)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए (3)–3/2023–लूज़ तारीख शिमला–02 18/3/2026.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची–I (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की उक्त अनुसूची में विद्यमान मद संख्या 21 के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन कर की दर निम्नलिखित रुप से रखी जाएगीः–

क्रम संख्या	वस्तुएं	कर की दर
21.	सभी प्रकार का तम्बाकू, जिसके अन्तर्गत पान मसाला, पान चटनी और तम्बाकू या तम्बाकू स्थानापन्न से बनी हुई निर्मितियां हैं।	8.00 रूपये प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए।"

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्टांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–ए(3)–3/2023–लूज़ तारीखः शिमला–02. 18/3/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला–09
2. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 07.03.2025 की मद संख्याः 40 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि0 प्र0।
4. संरक्षण नस्ति।

(दलीप कुमार नेगी)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Scanned with OKEN Scanner